न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जयपुर–राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 24 / 2025

उनवान

1. कैलाश पुत्र भगवान सहाय
2. कालूराम पुत्र भगवान सहाय
3. छीतर पुत्र भगवान सहाय
4. कोयली देवी पुत्री कजोड
5. दुर्गाप्रसाद पुत्र कजोड
6. नारंगी देवी पुत्री कजोड
7. बिरदी देवी पत्नि कजोड
8. कौशल्या पत्नि हरिसिंह
9. धनश्याम पुत्र प्रभूदयाल
10. सुभाष पुत्र प्रभूदयाल
11. सन्तोष कुमार पुत्र प्रभूदयाल
12. बद्री पुत्र भूरा
13. रामकुंवार पुत्र भूरा
14. मधुबाला पत्नि शिवदत्त
15. दुर्गेश पुत्र शिवदत्त
16. मनीष पुत्र शिवदत्त
17. हेमन्त पुत्र शिवदत्त
18. रूगनाथ पुत्र शंकरलाल

समस्त जाति मीणा, निवासी गठवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण / आवेदकगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

– अप्रार्थी / अनआवेदक

प्रार्थना पत्र बाबत् नवीन रास्ता चाहने हेतु अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

निर्णय दिनांक :– 13/5/2026

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि :– प्रार्थी / आवेदक की ओर से प्रारूप में आवेदन निम्न प्रकार पेश है :– यहकि हम आपके उपखण्ड में भूमि धारण कर रहे है. तथा खातेदार अभिधारी है. और हम हमारी जोत में पहुँच के प्रयोजन के लिए खातेदार अप्रार्थी सं0–1 के खसरा नं0–4270 / 0.80 है0 की जोत में नया मार्ग खोलने का आशय रखते है, इसलिये हमने राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम सं0–3) की धारा–251 क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करते है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

आपेक्षित विशिष्टियॉ निम्नानुसार है :–

(1)

आवेदक/आवेदकों का नाम	पिता/पति का नाम	आयु
कैलाश	भगवान सहाय	45
कालूरा	भगवान सहाय	43
छीतर	भगवान सहाय	41
कोयली देवी	कजोड	41
दुर्गाप्रसाद	कजोड	45
नारंगी देवी	कजोड	38
बिरदी देवी	कजोड	70
कौशल्या	हरिसिंह	52
धनश्याम	प्रभूदयाल	35
सुभाष	प्रभूदयाल	37
सन्तोष कुमार	प्रभूदयाल	39
बद्री	भूरा	70
रामकुंवार	भूरा	67
मधुबाला	शिवदत्त	50
दुर्गेश	शिवदत्त	28
मनीष	शिवदत्त	30
हेमन्त	शिवदत्त	29
रूगनाथ	शंकरलाल	95

(2). पूरा पता– समस्त जाति मीणा, निवासी गठवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

(3) जोत की विशिष्ट्रिया जिसके लिए आवेदन किया है :–

(क) यहकि उक्त प्रार्थीगण व अप्रार्थी की जोत–शाहपुरा उपखण्ड हनुतपुरा उर्फ रूडी

की सरहद में अवस्थित है।

(ख) एकड/बीघा में क्षेत्रफल सहित आवेदक के खसरा नम्बर–

श्रीमानजी खसरा नं0 4270 आम रास्ता के लगता हुआ अवस्थित है तथा खसरा नं0 4270 की दक्षिणी सीमा के लगता हुआ प्रार्थीगण का खसरा नं0 4285 अवस्थित है तथा उत्तरी पश्चिमी कोने में खसरा नं0 4271 अवस्थित है तथा रास्ता एवं आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की जोत खसरा नं0 4270 के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है।

(4) अन्य खातेदार (खातेदारों) की जोत की विशिष्टियां जिनमें से अपेक्षित नया मार्ग खोलने का आश्य रखता है :–

(क) राजस्थान सरकार

(ख) पूरा पता – आवेदन पत्र आवेदन पत्र के शीर्षक वर्णित किया गया है।

(ग) यहकि उक्त अप्रार्थीगण की जात ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूण्डी उपखण्ड शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जो खसरा नं0 4287 आम रास्ता के लगती अवस्थित है।

(घ) एकड/बीघा में क्षेत्रफल सहित खसरा संख्या सहित विशिष्टिया –

खसरा नं0	क्षेत्रफल/है0
4270	0.80 है0

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

अन्त में निवेदन किया कि खण्ड (घ) के खसरा नम्बरान अप्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित जो आम रास्ता खसरा नं0 4287 के लगता हुआ अवस्थित है तथा खसरा नं0 4270 के दक्षिणी सीमा के सहारे प्रार्थीगण का खसरा नं0 4285 तथा उत्तरी पश्चिमी कोने में खसरा नं0 4271 अवस्थित है जिनमें पहूचने को कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण को अपनी जोत में पहूचने के लिए खसरा नं0 4270 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पश्चिमी कोने तक जाकर उत्तर में मुडकर उत्तर की ओर उत्तर पश्चिमी कोने में अवस्थित खसरा नं0 4271 तक 4 मीटर चौडाई में नये मार्ग की अति आवश्यकता है तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से चिन्हित किया जाकर संलग्न किया है तथा उक्त नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में प्रस्तावित नक्शा हल्का पीला रंग से चिन्हीत किया गया है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को वर्तमान में सरकारी दर अदा करने को तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन के साथ संलग्न नक्शा में लाल स्याही से चिन्हीत प्रस्तावित नया मार्ग खोलने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/रीडर/2026/614 दिनांक 28.04.2026 के द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट सही होना जाहिर करते हुए तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात्, प्राप्त तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत एवं बाद बहस मनन उपरांत जाहिर होता है कि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि " ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी के खसरा नंबर 4271 व 4285 में जाने के लिए खसरा नंबर 4270 में से 175 मीटर लंबाई में 6 मीटर चौडा रास्ता खसरा नंबर 4285 की उत्तरी सीमा के सहारे खसरा नंबर 4271 तक कुल रकबा 175 X 6 = 1050 वर्ग मीटर आता है यह लघुत्तम दूरी में है।" चूंकि प्रार्थीगण ने अपनी जोत तक पहुंचने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) पेश किया है जिसको ध्यान में रखते हुए तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

समझते है। अतः मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी, पटवार हल्का खोरालाडखानी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर के आराजी खसरा नंबर 4271 रकबा 2.69 है0 व 4285 रकबा 0.6800 है0 की जोत तक पहुंचने हेतु आराजी खसरा नंबर आराजी खसरा नंबर 4270 रकबा 0.8000 है0 भूमि में से 175 मीटर लंबाई में 6 मीटर चौडा रास्ता खसरा नंबर 4285 की उत्तरी सीमा के सहारे खसरा नंबर 4271 तक कुल रकबा 175 x 6 = 1050 वर्ग मीटर भूमि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से 2 गुना भूमि की कीमत आंकलन कर राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदारान/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/5/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार खेदड़, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जिला जयपुर)